

हरदीप सिंह सोहेल आदि

बनाम

सी. बी. आई. के ज़रिए पंजाब राज्य

सितंबर 28, 2004

[के. जी. बालकृष्णन और डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-धारा 120-बी, 302, 307, 394:

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987
(1993 के अधिनियम 43 द्वारा संशोधित)-धारा 3 (1), 3 (2), 3 (3)
और 15:

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) नियम, 1987-
नियम 15:

हत्या-अभियोजन-टाडा अधिनियम के तहत इकबालिया बयान और
सह-आरोपी का अतिरिक्त-न्यायिक इकबालिया बयान सह-आरोपित मफरूर
और अभियुक्त के साथ मुकदमा नहीं चलाया गया-नियम 15 के अनुसार
प्रमाण पत्र नहीं दिया गया-अभियुक्त को इकबालिया बयान और फरार सह-
अभियुक्त के अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी ठहराया
गया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: बरी किए जाने योग्य अभियुक्त-
टाडा के तहत स्वीकारोक्ति और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति कानून में

अस्वीकार्य थे-यह केवल तभी स्वीकार्य हो सकता था जब इकबाल करने वाले व अभियुक्त पर के साथ एक ही मामले में आरोप लगाया गया और मुकदमा चलाया गया हो। क्योंकि नियम-15 के अनुपालन में इकबालिया बयान दर्ज नहीं किया गया था। 15 - साक्ष्य अधिनियम, 1872-धारा 30।

अपीलकर्ता-डॉक्टरों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पेशेवर प्रतिद्वंद्विता के कारण एक अन्य आरोपी को काम पर रखकर एक डॉक्टर की हत्या करने की साजिश रची थी। भाड़े के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया और उसके आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों की धारा 15 के तहत इकबालिया बयान के आधार पर, (निवारण) अधिनियम, 1987, अपीलार्थियों पर आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 302,307,394, टाडा अधिनियम की धारा 3 (1), 3 (2) और 3 (3) और आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप लगाए गए थे। उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सका क्योंकि वो फरार था और उसे मफरूर घोषित किया गया था। षड्यंत्र साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पीडब्लूएस-32,42 और 34 की साक्ष्य पर आधारित किया। पीडब्लू-32 अस्पताल में एक स्टाफ नर्स थी जहाँ एक अपीलार्थी-आरोपी काम कर रहा था। उसके साक्ष्य के अनुसार अपीलकर्ताओं ने उसके माध्यम से फरार आरोपी के साथ बैठक की व्यवस्था की थी और कि फरार अभियुक्त ने उसे बताया था कि अपीलार्थी-अभियुक्त उससे एक व्यक्ति को मरवाना चाहते थे और उसने ऐसा किया था। पीडब्लू-42, मृतक की पत्नी ने कहा कि फरार आरोपी ने

अतिरिक्त-न्यायिकस्वीकारोक्ति उसके सामने की कि उसने अपीलार्थी अभियुक्त के कहने पर उसके पति की हत्या कर दी थी। पीडब्लू-34 पुलिस अधीक्षक ने फरार आरोपी का इकबालिया बयान दर्ज किया था। हालांकि उन्होंने सवाल किए थे कि अभियुक्त इस बारे में कि क्या वह जानता था कि उसके बयान का उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है जिसके आधार पर उसे सजा दी जाएगी और क्या उस पर कोई दबाव या भय था और अभियुक्त ने नकारात्मक जवाब दिया था। परन्तु, पीडब्लू-34 ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) नियम, 1987 के नियम 15 के संदर्भ में प्रमाण पत्र नहीं दिया।

विचारणी न्यायालय ने अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों को आरोपित अपराधों के लिए दोषी ठहराया, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि केवल इसलिए कि आरोप विरचित होने से पहले एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई थी, इससे इकबालिया बयान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा; और यह कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के संचालन द्वारा, सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान का उपयोग किया जा सकता है।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि फरार अभियुक्त द्वारा टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दिया गया बयान अस्वीकार्य था क्योंकि यह अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में दर्ज किया गया था।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1: चूंकि फरार अभियुक्त पर अपीलार्थियों के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा नहीं चलाया जा सका, इसलिए आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 15 के तहत स्वीकारोक्ति का पूरा सबूत दर्ज किया गया। (प्रदर्श पी.ए.ए.) और अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति अस्वीकार्य हो गए हैं और किसी अन्य विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थियों को उनके खिलाफ बनाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाना है। [797 - ई, एफ, जी)

कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1994] 3 एस. सी. सी. 569, संदर्भित।

2. फरार अभियुक्त द्वारा पीडब्ल्यू-34 (प्रदर्श पी. ए. ए.) के समक्ष किया गया इकबालिया बयान कानूनी रूप से अस्वीकार्य है और इसका उपयोग अपीलार्थियों के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। पी. डब्ल्यू.-32 और पी. डब्ल्यू.-42 को कथित तौर पर दिए गए अतिरिक्त न्यायिक इकबालिया बयानों को भी दुर्बलता से नुकसान होता है। [797 - बी, सी]

3. 1993 के अधिनियम 43 द्वारा संशोधित टाडा अधिनियम की धारा 15 स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि धारा 15 के तहत दर्ज किया गया स्वीकारोक्ति केवल तभी स्वीकार्य है जब अपराध स्वीकार करने वाले

पर सह-अभियुक्त के साथ एक ही मामले में आरोप लगाया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है। [793 - जी, एच.]

एस. सोहेल बनाम सी. बी. आई. के ज़रिए पंजाब राज्य एशर सिंह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2004) एयर एससीडब्ल्यू 1665,

4. प्रदर्श पी. ए. ए. और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) नियम, 1987 में आतंकवादी के नियम 15 के तहत कोई प्रमाण पत्र है। पीडब्लू-34 द्वारा दिए गए हैं। यह सच है कि पीडब्लू-34 ने आरोपी से कुछ सवाल किए थे लेकिन स्वीकारोक्ति के अंत में प्रमाण पत्र नहीं दिया था। प्रमाणपत्र में विशेष रूप से कहा जाना चाहिए था कि उसने स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति को समझाया था कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं था और यदि वह ऐसा करता है, तो उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है और वह मानता है कि यह स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की गई थी और इसे उसकी उपस्थिति में लिया गया था और उसके द्वारा दर्ज किया गया था और इसे देने वाले व्यक्ति को पढ़ा कर सुनाया गया था और उसके द्वारा सही होने के लिए स्वीकार किया गया था, और इसमें उसके द्वारा दिए गए बयान का पूरा और सही विवरण था। [796 - डी, ई, एफ]

भरतभाई उर्फ जिमी प्रेमचंदभाई बनाम गुजरात राज्य, [2002] 8 एससीसी 447 और एस. एन. दुबे बनाम एन. बी. भोइर, [2000] 2 एस. सी. सी. 254, पर भरोसा किया।

5. भगोड़े अभियुक्त द्वारा कथित रूप से किया गया अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति पर साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 के तहत विचार किया जा सकता है। इसे साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थियों के साथ उन पर मुकदमा नहीं चलाया गया था। [790 - बी, सी, डी]

6. अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए अपने आप में प्रयोजन पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत आने वाले किसी भी साक्ष्य पर अपना हाथ नहीं रख सका, अर्थात् मृतक को मारने के उनके सामान्य उद्देश्य के संदर्भ में किसी भी अपीलार्थी द्वारा किया गया या लिखा गया कुछ भी। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कोई भी साक्ष्य, साक्ष्य के स्वीकार्य मद के मापदंडों के भीतर नहीं आएगा। [797 - सी, डी, ई]

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं. 531/2004

पंजाब में नामित न्यायालय, जिला जेल, नाभा, जिला पटियाला, के अतिरिक्त न्यायाधीश के एस. सी. नंबर 1-टी 10.4.2004 निर्णय और आदेश दिनांकित से, 30.5.98 के में।

के साथ

सीआरएल अपील सं. 577/ 2004

अपीलार्थियों की ओर से सुशील कुमार, एडोल्फ मैथ्यू, आर. पी. वाधवानी, विनय अरोड़ा और संजय जैन।

पी. पी. मल्होत्रा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सुधीर वालिया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। राज्य की महाधिवक्ता सुश्री नरेश बख्शी, अजीत भास्मे, राजीव उत्तरदाताओं के लिए शर्मा, विनीत मल्होत्रा, एस. शर्मा, बी. वी. बलराम दास और पी. परमेश्वरन।

न्यायालय का निर्णय के. जी. बालाकृष्णन, जे. द्वारा दिया गया था

इन दोनों अपीलों में अपीलार्थियों पर नामित अदालत, पटियाला द्वारा विभिन्न आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 अपराधों जैसे कि आई. पी. सी. की धारा 120-बी, 302,307,394; शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 3 (1), 3 (2) और 3 (3) [संक्षेप में, 'टाडा अधिनियम']। इन दो अपीलार्थियों के साथ, एक बलविंदर सिंह उर्फ फौजी उर्फ प्रधान को तीसरे आरोपी के रूप में दिखाया गया था, लेकिन वह फरार था और उसे मफरूर घोषित किया गया था, जो मुकदमे के लिए उपलब्ध नहीं था।

अपीलार्थियों को नामित न्यायालय द्वारा आई. पी. सी. की धारा 120बी के साथ धारा 302 और टाडा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी पाया गया था। उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 3,000 धारा 120-बी के तहत अपराध के लिए छह महीने की डिफॉल्ट सजा के साथ आई. पी. सी. की धारा 303। टाडा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत अपराध के लिए, उन्हें प्रत्येक को पांच साल की अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई गई और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 2,000 छह महीने की डिफॉल्ट सजा के साथ। इन अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने बलविंदर सिंह के साथ मिलकर रात करीब 10 बजे डॉ. मेघराज गोयल की हत्या करने की साजिश रची। बलविंदर सिंह ने डॉ. मेघराज गोयल पर गोली चलाई और उन्हें मार डाला।

डॉ. मेघराज गोयल का निधन सुबह 6.25 बजे 7.2.1992 पर हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार, डॉ. मेघ राज गोयल अपनी पत्नी डॉ. सुमन रानी गोयल के साथ पटियाला में एक मनोरोग अस्पताल चला रहे थे। दोनों ने इंग्लैंड में मनोचिकित्सा में अपनी शिक्षा पूरी की थी और 1989 में भारत लौट आए थे। उन्होंने पटियाला में 34, पंजाबी बाग में गोयल मनोरोग अस्पताल शुरू किया और बाद में मई, 1991 में 85, पंजाबी बाग में स्थानांतरित कर दिया। आपराधिक अपील सं. 577 में अपीलार्थी, डॉ. सुरिंदर सिंह संधू पहले से ही 1973 से मनोचिकित्सा में "संधू नर्सिंग

होम" चला रहे थे और उन्होंने मनोचिकित्सा रोगियों के उपचार के क्षेत्र में लगभग एकाधिकार स्थापित कर लिया था। जब मृतक डॉ. मेघराज गोयल और उनकी पत्नी ने अपना अस्पताल शुरू किया, तो इसने लोकप्रियता हासिल की, और अभियोजन पक्ष के अनुसार, डॉ. सुरिंदर सिंह संधू एच. एस. सोहेल प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि संधू नर्सिंग होम में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आई है और मृतक डॉ. मेघराज गोयल के अस्पताल में इलाज कराने वाले रोगियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि अपीलार्थी डॉ. सुरिंदर सिंह संधू ने 2004 की आपराधिक अपील संख्या 531 में अपीलार्थी डॉ. हरदीप सिंह सोहल से मुलाकात की और उन्होंने मिलकर एक साजिश रची और डॉ. मेघ राज गोयल को खत्म करने का फैसला किया। डॉ. मनदीप सिंह सोहल ने राजिंदरा अस्पताल, पटियाला में काम करने वाली एक स्टाफ नर्स, मिस सविंदर कौर की सहायता से बलविंदर सिंह उर्फ फौजी की उपस्थिति सुनिश्चित की। अपीलार्थी दो लाख रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया और बलविंदर सिंह को 50,000 रुपये प्रारंभिक भुगतान के रूप में भुगतान किया गया। 6.2.1992 पर, बलविंदर सिंह पटियाला आए और उन्होंने एक मारुति कार होटल ग्रीन्स के पास देखी जिस पर पंजीकरण संख्या थी। पी. सी. एच. 8008 था। कार के मालिक सुरिंदर कुमार बजाज कार में बैठे थे। बलविंदर सिंह कार के पास आया और अपनी रिवॉल्वर से

सुरिंदर कुमार बजाज पर कार की खिड़की से गोली चला दी जिससे उनकी दाहिनी जांघ में चोट लग गई। इसके बाद बलविंदर सिंह जल्दी से कार की बाईं अगली सीट पर बैठ गया और रिवॉल्वर की नोक पर सुरिंदर कुमार बजाज को वाहन को गोयल मनोरोग अस्पताल की ओर ले जाने के लिए मजबूर किया। वे रात करीब 10 बजे उस अस्पताल के पास पहुंचे और डॉ. मेघराज गोयल और उनकी पत्नी डॉ. सुमन रानी गोयल को, जो टहलने गए थे, अपने अस्पताल की ओर आते हुए देखा। उस समय बलविंदर सिंह ने डॉ. मेघराज गोयल पर अपनी रिवॉल्वर से दो गोलियां चलाईं। डॉ. गोयल जमीन पर गिर गए और उस हंगामे में सुरिंदर कुमार बजाज अपनी कार वहाँ छोड़कर भागने में सफल रहे। बलविंदर सिंह तब उस कार में भाग गया और बाद में कार टी. बी. अस्पताल के पास लावारिस पाई गई। घायल मेघराज गोयल को उनकी पत्नी तुरंत सर्जिकल सेंटर, मॉडल टाउन, पटियाला ले गई और वहां से राजेंद्र अस्पताल, पटियाला ले गई। डॉ. मेघराज गोयल का वहाँ डॉक्टरों की एक टीम द्वारा ऑपरेशन किया गया था, लेकिन वे उनकी जान नहीं बचा सके और उन्हें सुबह 6.25 बजे मृत घोषित कर दिया गया।

डॉ. सुमन रानी गोयल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, पुलिस ने आई. पी. सी. की धारा 34 और धारा 307 तथा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद, आई. पी. सी. की धारा 382,302 और टाडा अधिनियम, 1987 की धारा 4 और 5 के तहत

अपराध जोड़े गए। बलविंदर सिंह को इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह, एस. एच. ओ. सिविल लाइन्स, पटियाला ने आई. पी. सी. की धारा 302 और 382 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में लगभग 7:30 बजे गिरफ्तार किया था। उसके पास से बत्तीस बोर की देसी रिवॉल्वर और छह जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में बलविंदर सिंह ने स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति दी और डॉ. मेघराज गोयल की हत्या करना स्वीकार किया। टाडा अधिनियम की धारा 4 और धारा 5 को पहले दर्ज किए गए मामले में जोड़ा गया था और पुलिस शहर पटियाला के जिला पुलिस अधीक्षक श्री अजैब सिंह ने टाडा अधिनियम, 1987 की धारा 15 के तहत बलविंदर सिंह का इकबालिया बयान दर्ज किया। बलविंदर सिंह को समय-समय पर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था और 3.5.1993 पर अभियोजन पक्ष के अनुसार बलविंदर सिंह को एक अन्य मामले के संबंध में जिला संगरूर में ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया गया था। वहाँ वह हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी के लिए ले जाते समय 5.5.1993 पर पुलिस हिरासत से भाग गया, जिसके लिए उसके खिलाफ संगरूर जिले के भवानीगढ़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष ने आगे तर्क दिया कि बलविंदर सिंह का पता नहीं चल सका और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पटियाला द्वारा 24.10.1994 पर पारित एक आदेश द्वारा उसे मफरूर अपराधी घोषित कर दिया गया। बलविंदर सिंह के इकबालिया बयान के आधार पर, वर्तमान

अपीलार्थी डॉ. हरदीप सिंह सोहल और डॉ. सुरिंदर सिंह संधू को पुलिस ने 19.4.1993 पर गिरफ्तार किया और जांच जारी रखी। इस बीच, मृतक डॉ. मेघराज गोयल की पत्नी डॉ. सुमन रानी गोयल ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पुलिस मामले की जांच में सतर्क नहीं थी और उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच किए जाने का अनुरोध किया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 9.7.1996 पर पारित आदेश के अनुसरण में, मामले की जांच सी. बी. आई. को सौंपी गई और उन्होंने आगे की जांच की। जांच पूरी होने के बाद सी. बी. आई. ने आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू-1 से पीडब्लू-47 को परीक्षित किया गया जिसमें जाहिर किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। अपीलार्थी सुरिन्दर सिंह संधू धारा 313 सीआर. पी. सी. क अन्तर्गत पूछताछ में उन्होंने कहा कि उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एमबीबीएस और रांची विश्वविद्यालय से डी. पी. एम. की डिग्री प्राप्त की है और उन्होंने मनोचिकित्सक के रूप में 43 वर्षों का अनुभव रखा है और विभिन्न संस्थानों में काम किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि 1986 से 1992 तक उनकी पेशेवर आय लगातार बढ़ रही थी। 2004 की आपराधिक अपील संख्या 531 में अपीलार्थी, ने हरदीप सिंह सोहल से जब धारा 313 सीआर. पी. सी. के तहत पूछताछ की गई तो जाहिर किया कि वह एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और वह ऑर्थोपेडिक्स विभाग का प्रमुख था। सरकारी मेडिकल कॉलेज,

राजिन्द्रा अस्पताल, पटियाला। उन्होंने कहा कि उनका शैक्षणिक जीवन शानदार रहा है और उन्होंने पंजाब के कई विभिन्न महाविद्यालयों, चिकित्सा क्षेत्रों में सेवा की है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बेटे हरमनदीप सिंह की पुलिस ने उस समय हत्या कर दी थी जब वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कार में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने पीछे से गोली चलाई थी और उनके बेटे के सिर पर वार किया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने बेटे की निर्मम हत्या के बारे में शोर मचाया था। और पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसी वजह से पुलिस उनके प्रति शत्रुतापूर्ण हो गई थी। उन्होंने बलविंदर सिंह के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया और कहा कि वह मिस सविंदर कौर को नहीं जानते थे। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे अपीलार्थी डॉ. सुरिंदर सिंह संधू के साथ उनका कोई सामाजिक या पेशेवर संबंध नहीं था।

बचाव पक्ष की ओर से डी. डब्ल्यू.-1 और डी. डब्ल्यू.-2 को परीक्षित किया गया। यह तथ्य विवादित नहीं है कि डॉ. मेघराज गोयल की गोली लगने से सुबह 6.25 बजे दिनांक 07.02.1992 को मृत्यु हो गई। विशेष न्यायाधीश ने पीडब्लू-34 शाम लाल गखर द्वारा दर्ज बलविंदर सिंह उर्फ फौजी के कबूलनामे के साक्ष्य के आधार पर वर्तमान अपीलार्थियों को हत्या का दोषी पाया।

इस स्वीकारोक्ति के अलावा, अपीलार्थियों द्वारा साजिश या अपराध में उनकी संलिप्तता को साबित करने के लिए कोई अन्य विश्वसनीय सबूत नहीं है। साजिश को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-32 सविंदर कौर, पीडब्लू-32 की गवाही पर भरोसा किया, जो पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में एक स्टाफ नर्स है। अपीलार्थी डॉ. सोहल उस अस्पताल में ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर थे। पीडब्लू-32 ने कथन किया कि डॉ. सोहल ने उनसे अनुरोध किया कि क्या बलविंदर सिंह को दो-तीन दिनों के भीतर उनसे मिलने के लिए कहा जा सकता है। इसके बाद पीडब्लू-32 और बलविंदर सिंह डॉ. सोहल के घर गए। उन्होंने आगे कहा कि डॉ. सोहल ने बलविंदर सिंह के साथ कुछ चर्चा की थी और उस समय वह डॉ. सोहल की पत्नी के साथ थी जिसे वह पहले से जानती थी। पीडब्लू-32 ने यह भी कहा कि उस समय डॉ. सोहल के साथ एक और व्यक्ति घर में मौजूद था और बाद में उसने उसकी पहचान दूसरे अपीलार्थी डॉ. संधू के रूप में की। उसने यह भी कहा कि जब बलविंदर सिंह घर से निकला तो वह अपने साथ एक छोटा सा पैकेट पकड़े हुए था। पीडब्लू-32 ने आगे कहा कि बलविंदर सिंह बाद में उससे मिला और जब उसने उससे पूछा कि डॉ. सोहल के साथ उसका क्या काम है, तो उसने जवाब दिया कि डॉ. सोहल एक व्यक्ति की हत्या करवाना चाहता था और बलविंदर सिंह ने ऐसा किया था और डॉ. सोहल ने पचास हजार रुपये का भुगतान किया था। बकाया पैसे लेना चाहता था। पीडब्लू-32 ने यह भी जाहिर किया कि

वह इस घटना के बारे में सुनकर हैरान रह गई और उसे पता चला कि डॉ. मेघराज गोयल की हत्या कर दी गई है। पीडब्लू-42 एक अन्य गवाह है जिसने बलविंदर सिंह के अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के बारे में बात की। पीडब्लू-42 मृतक मेघराज गोयल की पत्नी है। उसने बयान दिया कि अप्रैल, 1993 में उसे अपने एक रिश्तेदार का टेलीफोन आया जिसने उसे बताया कि पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने डॉ. मेघराज गोयल की हत्या करने की बात कबूल की थी। पीडब्लू-42 पुलिस स्टेशन गई जहाँ उसने एक व्यक्ति को हथकड़ी पहने देखा। पीडब्लू-42 ने इंस्पेक्टर गुरनाम सिंह को बताया कि वह वही व्यक्ति था जिसने उसके पति को गोली मारी थी। उसने बलविंदर सिंह से पूछा कि उसके पति की हत्या का कारण क्या था। इस पर बलविंदर ने जवाब दिया था कि यह काम उसे डॉ. सोहल ने बताया और उन्होंने यह भी बताया कि पीडब्लू-32 सविंदर कौर राजिंदरा अस्पताल में नर्स के रूप में काम कर रही थी, जहां डॉ. सोहल काम कर रहे थे और उन्हें पीडब्लू-32 के माध्यम से डॉ. सोहल से संदेश मिला था और उसके बाद डॉ. सोहल से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें बताया कि पटियाला में डॉ. मेघराज गोयल के आने के बाद डॉ. संधू का पेशा बुरी तरह प्रभावित हुआ था और इसलिए वह डॉ. मेघराज गोयल को खत्म करना चाहते थे और बलविंदर सिंह ने दो लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें से पचास हजार रुपये का भुगतान किया गया था और शेष राशि का भुगतान हत्या के बाद किया जाना था।

बलविंदर सिंह द्वारा कथित रूप से किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर केवल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 के तहत विचार किया जा सकता है। अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलार्थियों के साथ बलविंदर सिंह पर मुकदमा नहीं चलाया गया था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हालाँकि बलविंदर सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन फैसले में उन्हें एक भगोड़े अपराधी के रूप में दिखाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बलविंदर सिंह को 18.4.1993 पर गिरफ्तार किया गया था। पीडब्लू-45 गुरनाम सिंह, जो पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स, पटियाला के स्टेशन हाउस अधिकारी थे, एक सब के साथ इंस्पेक्टर और तीन कांस्टेबल के साथ थानाधिकारी एन. आई. एस. चौक, पटियाला के पास गश्ती ड्यूटी पर थे। उन्हें पता चला कि एक टैक्सी चालक, जिसने विभिन्न अपराध किए थे, बिना पंजीकरण संख्या के वाहन में शहर में घूम रहा था। इस बीच, पंजीकरण संख्या के बिना एक मारुति कार आई और उसे रोक लिया गया और उसके चालक को हिरासत में ले लिया गया। उनके पास एक प्वाइंट बत्तीस बोर की रिवाल्वर थी जिसमें पांच जिंदा कारतूस थे। उसने उन्हें बताया कि उसका नाम बलविंदर सिंह है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वह हिरासत से भाग गया और बाद में उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया। अपीलार्थियों के वकील ने तर्क दिया कि बलविंदर सिंह को पुलिस ने एक फर्जी मुठभेड़ में मार डाला था,

जिसके लिए कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है। किसी भी मामले में, बलविंदर पर कभी भी वर्तमान अपीलार्थियों के साथ मुकदमा नहीं चलाया गया। बलविंदर सिंह द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति पर तभी विचार किया जा सकता था जब वर्तमान अपीलार्थियों के साथ उन पर मुकदमा चलाया गया।

विशेष न्यायाधीश द्वारा जिस अन्य साक्ष्य पर भरोसा किया गया है, वह है पी.डब्ल्यू.-34 शाम लाल गखर, एक आई. पी. एस. अधिकारी, जो पटियाला के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे, द्वारा दर्ज बलविंदर सिंह का इकबालिया बयान। उन्होंने कहा कि 18.04.1993 को जब वह गश्ती ड्यूटी पर थे, तब पीडब्ल्यू-45 गुरनाम सिंह उनसे मिले और बताया कि उन्होंने एक बलविंदर सिंह को बत्तीस बोर की रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ में उसने डॉ. मेघराज गोयल की हत्या सहित विभिन्न अपराधों में अपनी संलिप्तता के बारे में बताया था। बलविंदर सिंह को पी.डब्ल्यू 34 के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसका इकबालिया बयान लिया गया था जो प्रदर्श पी.ए.ए. है। इकबालिया बयान में बलविंदर ने अपराध में अपनी संलिप्तता का विवरण दिया है।

अपीलार्थियों के वकील ने हमारे समक्ष दृढ़ता से आग्रह किया कि टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत बलविंदर सिंह द्वारा दी गई स्वीकारोक्ति के साक्ष्य में अस्वीकार्य है। यह भी तर्क दिया गया कि इसे

टाडा अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए दर्ज किया गया था और यह कि अनिवार्य प्रावधानों को लागू नहीं किया गया है। इसलिए, स्वीकारोक्ति कथन पर विचार करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता पर विचार करने से पहले, टाडा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर ध्यान देना प्रासंगिक है। पूर्व में इससे पहले, धारा 21 टाडा अधिनियम के अनुसार, सह-अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त पर अपराध करने के बारे में एक उपधारणा की जा सकती थी। 1993 से पहले टाडा अधिनियम की धारा 21 निम्नलिखित के लिए थी:

प्रभाव:

"21. धारा 3---(1) के तहत अपराधों के बारे में उपधारणा, धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है

(क) कि धारा 3 में निर्दिष्ट हथियार या विस्फोटक या कोई अन्य पदार्थ अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे और यह मानने का कारण है कि ऐसे हथियार या विस्फोटक या समान प्रकृति के अन्य पदार्थों का उपयोग इस तरह के अपराध में किया गया था; या

(ख) कि एक विशेषज्ञ के साक्ष्य से अभियुक्त की उंगलियों के निशान अपराध स्थल पर ऐसे अपराध के संबंध में उपयोग किए जाने वाले हथियार और वाहन या किसी भी चीज़ पर पाए गए थे।

(ग) कि सह-अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है कि अभियुक्त ने अपराध किया था; या

(घ) कि अभियुक्त ने पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपराध स्वीकार किया था जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, तब तक नामित न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया था।”

1993 का अधिनियम संख्या 43, टाडा अधिनियम की धारा 21 का खंड (सी) था और टाडा अधिनियम की मूल धारा 15 को भी नए अधिनियम, यानी 1993 के अधिनियम संख्या 43 द्वारा संशोधित किया गया था। धारा 15 की मूल उप-धारा (1) ई. टाडा अधिनियम इस प्रकार था:

"15. पुलिस अधिकारियों के सामने किए गए कुछ इकबालिया बयानों को स्वीकार किया जाना चाहिए। (1) संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)

में कुछ भी होने के बावजूद, लेकिन प्रावधानों के अधीन इस धारा के अनुसार, किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया स्वीकारोक्ति और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या किसी यांत्रिक उपकरण जैसे कैसेट, टेप या साउंडट्रैक पर दर्ज किया गया, जिसमें से ध्वनि या चित्रों को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में स्वीकार्य होगा।”

उपरोक्त, 1993 के अधिनियम संख्या 43 द्वारा, इसमें संशोधन किया गया और यह इस प्रकार है:

“भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1), लेकिन प्रावधानों के अधीन इस धारा के तहत, एक व्यक्ति द्वारा पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के पुलिस अधिकारी के सामने की गई स्वीकारोक्ति और उसके द्वारा दर्ज की गई। ऐसा पुलिस अधिकारी या तो लिखित रूप में या किसी यांत्रिक उपकरण जैसे कैसेट, टेप या साउंडट्रैक पर, जिससे ध्वनि या चित्रों को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी अपराध

के लिए ऐसे व्यक्ति या सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के मुकदमे में स्वीकार्य होगा:

बशर्ते कि सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता अभियुक्त के साथ ही आरोप विरचित कर विचारण किया जाए।

उप-धारा (2), इसे बनाने वाले व्यक्ति को समझाएँ कि उपधारा 1 में स्वीकारोक्ति देने के लिए वह बाध्य नहीं है और यह कि यदि वह ऐसा करता है, तो इसका उपयोग उसके खिलाफ सबूत के रूप में किया जा सकता है और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसा कोई स्वीकारोक्ति तब तक दर्ज नहीं करेगा जब तक कि ऐसा करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर यह मानने का कारण है कि इसे स्वेच्छा से बनाया जा रहा है। इन प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि 1993 के अधिनियम संख्या 43 द्वारा स्वीकार्यता के मामले में कुछ गंभीर बदलाव किए गए हैं।”

सह-अभियुक्त द्वारा किया गया इकबालिया बयान 1993 के संशोधन अधिनियम 43 से पहले, यदि किसी सह-अभियुक्त द्वारा स्वीकारोक्ति की गई थी कि उसने अपराध किया था, तो नामित न्यायालय यह उपधारणा कर सकता था कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया था, जब तक कि इसके

विपरीत साबित न हो जाए। इस प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया गया था और इसके बजाय टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार्य बनाया गया था। एक प्रमुख परिवर्तन जो लागू किया गया था वह यह था कि सह-अभियुक्त द्वारा टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज किए गए इस तरह के कबूलनामे का उपयोग उस अभियुक्त के खिलाफ किया जा सकता है बशर्ते सह-अभियुक्त पर अभियुक्त के साथ एक ही मामले में आरोप लगाया जाए और मुकदमा चलाया जाए। टाडा की धारा 15 के तहत दर्ज किए गए कबूलनामे का क्षेत्र व परिधि इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य बनाम नलिनि में विस्तार से विचार किया था। नलिनी, [1999] 5 एससीसी 253। उस मामले में बहुमत का निर्णय यह था कि टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज किया गया स्वीकारोक्ति एक ठोस सबूत है, हालांकि थॉमस, जे. ने कल्पनाथ राय बनाम मामले में इस अदालत के पहले के फैसले पर भरोसा करते हैं। राज्य (सी. बी. आई. के माध्यम से), [1997] 8 एस. सी. सी. 732 ने अभिनिर्धारित किया कि भले ही किसी अभियुक्त का स्वीकारोक्ति टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत स्वीकार्य हो, सबूत का ठोस टुकड़ा और एक सह-अभियुक्त के खिलाफ तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य सबूतों द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। हालाँकि, वाधवा और कादरी, जे. जे. के बहुमत ने माना कि टाडा अधिनियम की धारा 15 एक अबाधित खंड

के साथ शुरू होती है क्योंकि यह कहता है कि न तो साक्ष्य अधिनियम और न ही दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी और यह निश्चित रूप से सामान्य कानून से अलग था और जब विधायिका ने अधिनियमित किया कि साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा कि धारा 30 सहित साक्ष्य अधिनियम के सभी प्रावधान और इसलिए, टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज स्वीकारोक्ति सह-अभियुक्त के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि ठोस साक्ष्य का मतलब जरूरी नहीं कि गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य हो। यह सबूत की गुणवत्ता है जो मायने रखती है।

1993 के अधिनियम 43 द्वारा संशोधित टाडा अधिनियम की धारा 15 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज किया गया स्वीकारोक्ति केवल तभी स्वीकार्य है जब इकबालिया बयान देने वाले पर उसी मामले में आरोप लगाया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है। सह-अभियुक्त के साथ। 1993 के संशोधन के बाद, "सह-अभियुक्त, उकसाने वाला या साजिशकर्ता" शब्दों को जोड़ा गया और इस प्रभाव के लिए नया "परन्तुक" जोड़ा गया कि "सह-अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता पर अभियुक्त के साथ ही आरोप लगाया जाता है व मुकदमा चलाया जाता है। स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि स्वीकारोक्ति करने न्यायालय केवल तभी विचार किया जाएगा जब सह-अभियुक्त द्वारा आरोप लगाया जाता है और अन्य अभियुक्तों के साथ मुकदमा चलाया जाता है।

दुर्भाग्य से, बलविंदर सिंह उर्फ फौजी पर दिनांक 4 या 5 मई, 1993 पर मफरूर होने का आरोप है तथा आरोप भी न्यायालय द्वारा इसके पश्चात विरचित किया गया था तथा बलवंत सिंह को एक भगोडा अपराधी वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा घोषित किया गया था। विशेष न्यायाधीश द्वारा ऐशर सिंह बनाम आन्ध्रप्रदेश राज्य [2004] एयर एससीडब्ल्यू 1665 में पारित निर्णय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए निर्णित किया कि केवल इसलिए कि आरोप तय होने से पहले एक अभियुक्त की मृत्यु हो गई थी, यह इकबालिया बयान को प्रभावित नहीं करता है। विद्वान न्यायाधीश का यह भी विचार था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 के संचालन द्वारा, सह-अभियुक्त की स्वीकारोक्ति का उपयोग किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश द्वारा लिया गया रुख गलत है। हमें नहीं लगता कि ऐशर सिंह का मामला (उपरोक्त) इस कानून को निर्धारित करता है कि धारा 15 के तहत दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति का उपयोग स्वीकार्य साक्ष्य में किया जा सकता है भले ही सह-अभियुक्त, जिसने स्वीकारोक्ति की थी, पर अन्य अभियुक्तों के साथ आरोप नहीं लगाया गया था या मुकदमा नहीं चलाया गया था। दूसरी ओर, निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संशोधन के बाद, नामित न्यायालय इसका उपयोग कर सकता है एक अभियुक्त का दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध स्वीकारोक्ति केवल तभी जब निम्नलिखित दो शर्तों को पूरा किया जाता है:

”(1) सह-अभियुक्त पर उसी मामले में आरोप लगाया जाना चाहिए था कन्फेसर के साथ।

(2) उसे अपराध स्वीकार करने वाले के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था।”

अपीलार्थी के वकील द्वारा आग्रह किया गया एक अन्य महत्वपूर्ण तर्क यह है कि पीडब्लू-34 ने स्वीकारोक्ति दर्ज करते समय अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन किया जिस तरीके से स्वीकारोक्ति दर्ज की जानी है, उसके बारे में टाडा अधिनियम की धारा 28 के तहत पुलिस अधिकारी को दी गई स्वीकारोक्ति आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) नियम, 1987 बनाए गए हैं। दर्ज करने के संबंध में नियम 15 निम्नलिखित रूप में पढ़ते हैं:

”15. पुलिस अधिकारियों के समक्ष किए गए स्वीकारोक्ति का अभिलेखन-(1) किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष किया गया और अधिनियम की धारा 15 के तहत ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया स्वीकारोक्ति निश्चित रूप से उस भाषा में दर्ज की जाएगी जिसमें ऐसा स्वीकारोक्ति की गई है और यदि वह व्यवहार्य नहीं है, तो उस भाषा में दर्ज की जाएगी जिसका उपयोग ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए या नामित

न्यायालय की भाषा में किया गया है। यह अभिलेख का हिस्सा होगा।

(2) इस प्रकार अभिलिखित स्वीकारोक्ति संबंधित व्यक्ति को दिखाई जाएगी, पढ़ी जाएगी या सुनाई जाएगी और यदि वह उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें इसे दर्ज किया गया है, तो उसे उस भाषा में व्याख्या की जाएगी जिसे वह समझता है और उसे समझाने या जोड़ने की स्वतंत्रता होगी। उसकी स्वीकारोक्ति के लिए।

(3) स्वीकारोक्ति, यदि यह लिखित रूप में है, तो

(क) स्वीकारोक्ति देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित; और

(ख) पुलिस अधिकारी द्वारा जो अपने हाथों से यह भी प्रमाणित करेगा कि ऐसा स्वीकारोक्ति उसकी उपस्थिति में लिया गया था और उसके द्वारा दर्ज किया गया था और रिकॉर्ड में व्यक्ति द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति का पूरा और सही विवरण है और ऐसा पुलिस अधिकारी एक ज्ञापन बनाएगा।”

निम्नलिखित प्रभाव के लिए स्वीकारोक्ति के अंत में:

"मैंने (नाम) को समझाया कि वह स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, यदि वह ऐसा करता है तो उसके द्वारा

की गई स्वीकारोक्ति उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में स्तेमाल की जा सकती है और मेरा मानना यह है कि स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की गई थी। यह मेरी उपस्थिति और सुनवाई से मेरे द्वारा अभिलिखित किया गया है और इसे देने वाले व्यक्ति को पढकर सुनाया गया है और उसके द्वारा सही होना स्वीकार किया गया और इसमें उसके द्वारा दिये गये बयान सही विवरण है।

(4) जहां स्वीकारोक्ति किसी यांत्रिक उपकरण में दर्ज की जाती है तो उप-नियम (3) में निर्दिष्ट ज्ञापन जहां तक यह लागू हो और ऐसा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा करें कि जिससे की उक्त स्वीकृति पर यांत्रिक उपकरण में उसकी उपस्थिति में सही ढंग से दर्ज किया गया है और यह बात उक्त यांत्रिक उपकरण में भी स्वीकृत रूप में दर्ज की जायेगी।

(5) धारा 15 के तहत दर्ज प्रत्येक स्वीकारोक्ति द्वितीयक रूप से मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जायेगी, जिसमें इस तरह का इकबालिया बयान दर्ज किया गया है और ऐसा मजिस्ट्रेट इस तरह से प्राप्त किए गए दर्ज

हुए इकबालिया बयान को नामित न्यायालय को भेजेगा, जो निम्नलिखित अपराध का संज्ञान ले सकता है।”

टाडा अधिनियम की धारा 15 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ। पंजाब राज्य, [1994] 3 एस. सी. सी. 569 ने उक्त प्रावधान की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। कर्तार सिंह के मामले (ऊपरोक्त) में आग्रह किया गया तर्क यह था कि टाडा अधिनियम में प्रक्रिया एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के विपरीत है और इस शक्ति का दुरुपयोग तृतीय श्रेणी के तरीकों का उपयोग करके गैरकानूनी तरीकों से स्वीकारोक्ति वसूलने के लिए किया जा सकता है। इस याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि स्वीकारोक्ति को दर्ज करने के तरीके के बारे में नियमों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। ऊपर निकाले गए नियम 15 से पता चलता है कि स्वीकारोक्ति लिखित रूप में होगी और स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी। पुलिस अधिकारी अपने हाथों से यह भी प्रमाणित करेगा कि ऐसा स्वीकारोक्ति उसकी उपस्थिति में लिया गया था और उसके द्वारा दर्ज किया गया था और रिकॉर्ड में व्यक्ति द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति का पूरा और सही विवरण है और ऐसा पुलिस अधिकारी स्वीकारोक्ति के अंत में एक ज्ञापन बनाएगा और ऐसे प्रमाण पत्र का प्रारूप भी नियम 15 में जोड़ा गया है।

प्रदर्श पी. ए. ए. में ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं है जो पी. डब्ल्यू. 34 द्वारा दिया गया हो। यह सच है कि पीडब्ल्यू-34 ने आरोपी से कुछ सवाल किए थे कि क्या उसे पता था कि वह जो बयान देना चाहता है, उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है और उसी के आधार पर उसे सजा दी जाएगी। अधिकारी ने उनसे यह भी पूछा कि क्या उन पर कोई दबाव, डर है और उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। हालाँकि पी. डब्ल्यू.-34 ने स्वीकारोक्ति के अंत में प्रमाण पत्र नहीं दिया। प्रमाणपत्र में विशेष रूप से कहा जाना चाहिए था कि उसके पास था। स्वीकारोक्ति देने वाले व्यक्ति को समझाया कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं था और यदि वह ऐसा करता है, तो उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है और वह मानता है कि यह स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की गई थी और यह उसकी उपस्थिति में ली गई थी और उसके द्वारा दर्ज की गई थी और इसे बनाने वाले व्यक्ति को पढ़ा गया था और उसने इसे सही माना था, और इसमें एक कथन था।

उनके द्वारा दिए गए बयान का पूरा और सही विवरण इस न्यायालय ने कई निर्णयों में इस प्रावधान का पालन न करने की प्रथा की निंदा की है और कहा है कि इस तरह का उल्लंघन अस्वीकार्य होगा। भारतभाई उर्फ जिमी प्रेमचंदभाई बनाम। गुजरात राज्य, [2002] 8 एस. सी. सी. 447, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि टाडा नियमों के नियम 15 (3) (बी) का पालन नहीं किया गया था और आवश्यकता के

अनुसार कोई ज़ापन नहीं बनाया गया था। रिकॉर्डिंग अधिकारी की संतुष्टि दिखाने के लिए समकालीन रिकॉर्ड भी नहीं था कि स्वीकारोक्ति का लेखन कि स्वीकारोक्ति स्वेच्छा से की गई थी या अभियुक्त को पढ़ी गई थी। इस प्रकार, इकबालिया बयान अस्वीकार्य था और इसे दोषसिद्धि को बनाए रखने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

एस. एन. दुबे बनाम एन. बी. भोइर, [2000] 2 एस. सी. सी. 254, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रमाण पत्र लिखना और नियम 15 (3) (बी) के तहत ज़ापन देना यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त को समझाया गया था कि वह ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं था। स्वीकारोक्ति और यह कि यदि उसने ऐसा किया है, तो इसे उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है; कि स्वीकारोक्ति स्वैच्छिक थी और इसे पुलिस अधिकारी द्वारा पूरी तरह से और सही तरीके से हटा लिया गया था, ये सभी मामले मौखिक रूप से साबित करने के लिए नहीं छोड़े गए हैं।

मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, प्रदर्श पी.ए.ए. बलविंदर सिंह द्वारा पी.डब्ल्यू 34 से स्वीकारोक्ति कानून में अस्वीकार्य है और अपीलार्थियों के खिलाफ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, पी. डब्ल्यू. 32 को कथित रूप से दिए गए अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति और पीडब्ल्यू-42 एक ही दुर्बलता से पीड़ित हैं।

हमारी राय में, विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थियों के विरुद्ध साक्ष्य की एक वस्तु के रूप में स्वीकारोक्ति को स्वीकार करने में गंभीर गलती की। स्वीकारोक्ति के साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने डॉ. मेघ राज गोयल को हटाने के लिए इन अपीलार्थियों के उद्देश्य को साबित करने का प्रयास किया। लेकिन आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए मकसद अपने आप में पर्याप्त नहीं है। अभियोजन पक्ष नहीं कर सका

साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 के तहत आने वाले किसी भी साक्ष्य पर अपना हाथ नहीं रख सका, अर्थात् डॉ. मेघ राज गोयल को मारने के उनके सामान्य इरादे के संदर्भ में किसी भी अपीलार्थी द्वारा कुछ भी कहा, किया या लिखा गया हो। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा विशाल साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो स्वीकार्य मद के मापदंडों के भीतर आए।

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है जिसमें एक युवा डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी। चूंकि अभियुक्त बलविंदर सिंह पर अपीलार्थियों के साथ संयुक्त रूप से मुकदमे का विचारण नहीं किया गया सम्पूर्ण बयान दर्ज होने बाबत नक्शा धारा 15 तथा अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जा सकता है तथा अन्य किसी विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को उन पर विरचित आरोप से दोषमुक्त किया जाना है। अतः परिणामस्वरूप इन अपीलार्थियों की अनुमति दी

जाती हैं। अयाचीगण पर उनके विरुद्ध लगाए गये सभी आरोपो से बरी किया जाता है तथा उन्हें तत्काल रूप से रिहा करने का आदेश दिया जाता है, यदि अन्य मामले में आवश्यक ना हो। अपीलो की अनुमति दी गई थी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रितिका कपूर (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।